भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 575
उत्तर देने की तारीख 05 फरवरी, 2020

डाकघर खोला जाना

575. **डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:**
श्री श्याम सिंह यादव:
श्री जी. सेल्वम:
श्री रेबती त्रिपुरा:
श्री धनुष एम. कुमार:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नए डाकघरों को खोलने के लिए मानक निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नए डाकघरों को पदों की पुनर्तैनाती तथा डाकघरों को दूसरे स्थान पर ले जाकर खोला जाता है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने नए डाकघरों की स्थापना की गई;

(घ) क्या सरकार को राज्यों से ग्रामीण तथा अल्पविकसित क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान डाकघर द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(च) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में विशेषकर त्रिपुरा एवं उत्तर प्रदेश में डाकघर बचत बैंक खाता धारकों के लिए नेट बैंकिंग सुविधा सहित एटीएम मशीनों/कोर बैंकिंग समाधानों/इंटरनेट किऑस्कों की स्थापना की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को डाकघर लघु बचत योजनाओं में निवेश के लिए आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

संचार, मानव संसाधन विकास तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) जी, हां। सरकार ने नए डाकघर खोलने के लिए दूरी, जनसंख्या और प्रत्याशित आय के मानदण्ड निर्धारित किए हैं। इसका विवरण **अनुबंध-।** पर है।

(ख) जी, हां। एक सतत प्रक्रिया के रूप में नए डाकघर जरूरतमंद और औचित्यपूर्ण क्षेत्रों में डाक नेटवर्क तक पहुंच बढ़ाने के लिए, पदों की पुनर्तैनाती और डाकघरों की पुन: स्थापना के माध्यम से, ''ग्रामीण व्यवसाय और डाक नेटवर्क तक पहुंच'' योजना के तहत, मानदण्डों के आधार पर खोले जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, देशभर में पदों की पुनर्तैनाती और डाकघरों की पुन:स्थापना करके कुल 419 डाकघर खोले गए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, कुल 1986 नए शाखा डाकघर खोले गए हैं, जिसमें त्रिपुरा के 3 और उत्तर प्रदेश के 12 शाखा डाकघर शामिल हैं। नए खोले गए शाखा डाकघरों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-।।** पर है।

(घ) जी नहीं, ग्रामीण और अल्पविकसित क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के लिए राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ड.) पिछले तीन वर्षों के दौरान, डाकघरों द्वारा अर्जित वर्षवार राजस्व निम्नानुसार है:-

वर्ष	कुल राजस्व (करोड़ रु. में)
2016-17	11511.00
2017-18	12832.76
2018-19	13195.68

(च) जी, हां। सरकार ने 997 स्वचालित टैलर मशीनें (एटीएम) स्थापित की हैं, जिसमें से 3 त्रिपुरा में और 89 उत्तर प्रदेश में हैं। कोर बैंकिंग सेवाएं देशभर के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के 137606 डाकघरों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, जिसमें त्रिपुरा के 583 और उत्तर प्रदेश के 15536 डाकघर शामिल हैं। इंटरनेट कियोस्क की संकल्पना को डाकघरों में कार्यान्वित नहीं किया गया है।

(छ) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का ध्यान डाकघरों में निवेश करने की ओर आकर्षित करने के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम के रूप में सुकन्या समृद्धि खाते को लोकप्रिय बनाने हेतु ''बालिका शक्ति'' जैसे विशेष अभियान सहित सेमिनार/मेला/रोड शो आयोजित किए हैं।

इसके अतिरिक्त, बचत बैंक खाताधारकों को अपने बचत बैंक खातों से निधि का आहरण करने और जमा करने के लिए स्वीप-इन और स्वीप आउट जैसी मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए और आवर्ती जमा, लोक भविष्यनिधि, सुकन्या समृद्धि खाता और आवर्ती जमा के विरुद्ध ऋण जैसी चुनिंदा लघु बचत योजनाओं की निधि का अंतरण करने के लिए सभी डाकघरों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना की गई है।

अनुबंध-I

दिनांक 05.02.2020 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 575 के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

नए डाकघर खोले जाने हेतु मानदंड

1. शाखा डाकघर (बीओ) खोलने हेतु मानदंड:

1.1 आबादी:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

प्रस्तावित डाकघर द्वारा सेवित गांवों के समूह में 3000 की आबादी (जिसमें प्रस्तावित डाकघर गांव की 1000 की आबादी शामिल है)।

(ख) पर्वतीय, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

किसी एक गांव में 500 की आबादी और गांवों के समूह में 1000 की आबादी।

1.2 दूरी:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

निकटतम मौजूदा डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 किमी. होनी चाहिए।

(ख) पर्वतीय, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:- पर्वतीय दूरी संबंधी सीमा उपरोक्तानुसार ही रहेगी। तथापि, डाक निदेशालय द्वारा विशेष परिस्थितियों को देखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में, न्यूनतम दूरी सीमा की शर्त में ढील दी जा सकती है। प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इन विशेष परिस्थितियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 प्रत्याशित आय:

(क) **सामान्य क्षेत्रों में:** न्यूनतम प्रत्याशित राजस्व, लागत का 33.33% होगा।

(ख) पर्वतीय, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में: न्यूनतम प्रत्याशित आय, लागत का 15% होगी।

2. विभागीय उप डाकघरों (एसओ) का उन्नयन करने/खोलने संबंधी मानदंड:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में:उन्नयन हेतु प्रस्तावित शाखा डाकघर का न्यूनतम कार्यभार 5 घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। वार्षिक हानि की अधिकतम सीमा, सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में 2400/- रूपए तथा पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में 4800/- रू. निर्धारित है।

(ख) **शहरी क्षेत्रों में:**शहरी क्षेत्रों में डाकघर प्रारंभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए और प्रथम वार्षिक समीक्षा के समय आगे जारी रखे जाने हेतु यह 5% लाभ में होना चाहिए। 20 लाख तथा इससे अधिक की आबादी वाले शहरों में, दो डाकघरों के बीच न्यूनतम दूरी 1.5 किमी. तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में यह दूरी 2 किमी. होनी चाहिए। तथापि, किन्हीं दो वितरण डाकघरों के बीच दूरी 5 किमी. से कम नहीं होनी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में किसी भी वितरण डाकघर के अंतर्गत न्यूनतम 7 पोस्टमैन बीट होनी चाहिए।

3. प्रधान डाकघर खोले जाने हेतु मानदंड

प्रधान डाकघर, जिला स्तरीय डाकघर होते हैं और इन्हें खोलने की आवश्यकता यदा-कदा ही पड़ती है। प्रधान डाकघर, किसी उप डाकघर को प्रधान डाकघर के रूप में परिवर्तित करने अथवा किसी मौजूदा प्रधान डाकघर को विभाजित करके खोले जाते हैं। इसके लिए निर्धारित मानदंड निम्नानुसार हैं:-

(i) प्रत्येक जिले में कम से कम एक प्रधान डाकघर होना आवश्यक है, बशर्ते कि कम से कम 20 उप डाकघरों को उससे संबद्ध किया जा सके। पिछड़े क्षेत्रों अथवा ऐसे क्षेत्रों में, जहां उप डाकघरों/ग्रामीण डाक सेवक डाकघरों की वित्त व्यवस्था में निश्चित रूप से सुधार होने की आशा हो, वहां निचले मानक अपनाए जा सकते हैं, जो डाक निदेशालय के अनुमोदन के अध्यधीन हैं।

(ii) यदि किसी जिले में कोई प्रधान डाकघर नहीं है, तो वहां इस शर्त पर प्रधान डाकघर खोले जाने पर विचार किया जा सकता है कि उसी जिले के कम से कम 20 उप डाकघरों को प्रस्तावित प्रधान डाकघर के लाभ पर संबद्ध किया जा सके, भले ही मूल प्रधान डाकघर के अंतर्गत आने वाले उप डाकघरों की संख्या 60 हो अथवा नहीं। तथापि, ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रकार किए जाने वाले उन्नयन के परिणामस्वरूप मूल प्रधान डाकघर से लेखाबद्ध उप डाकघरों की संख्या 20 से कम न हो।

(iii) यदि किसी मौजूदा प्रधान डाकघर से संबद्ध उप डाकघरों की संख्या 60 से अधिक हो, तो उसे विभाजित कर दिया जाना चाहिए। हालांकि, ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रकार हुए परिवर्तन के परिणामस्वरूप नए अथवा पुराने, किसी भी प्रधान डाकघर के अंतर्गत आने वाले उप डाकघरों की संख्या 20 से कम न हो।

अनुबंध-II

दिनांक 05.02.2020 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 575 के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए नए शाखा डाकघरों की सर्कल-वार संख्या					
क्र.सं.	**सर्कल का नाम**	**वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान खोले गए नए शाखा डाकघरों की संख्या**			**कुल**
		2016-17	**2017-18**	**2018-19**	
1	**आंध्र प्रदेश**	6	102	0	108*
2	**असम**	2	0	0	2
3	**बिहार**	5	38	0	43*
4	**छत्तीसगढ़**	6	24	717	747*
5	**दिल्ली**	0	0	0	0
6	**गुजरात**	4	5	2	11
7	**हरियाणा**	4	4	1	9
8	**हिमाचल प्रदेश**	4	4	5	13
9	**जम्मू एवं कश्मीर**	2	1	1	4
10	**झारखण्ड**	5	24	636	665*
11	**कर्नाटक**	4	4	1	9
12	**केरल**	0	0	0	0
13	**मध्य प्रदेश**	5	6	1	12
14	**महाराष्ट्र**	5	16	132	153*
15	**पूर्वोत्तर**	7	2	1	10
16	**ओडिशा**	6	9	39	54*
17	**पंजाब**	5	5	1	11
18	**राजस्थान**	4	9	2	15
19	**तमिलनाडु**	4	5	1	10
20	**तेलंगाना**	3	73	0	76*
21	**उत्तराखंड**	9	3	1	13
22	**उत्तर प्रदेश**	2	8	2	12
23	**पश्चिम बंगाल**	3	5	1	9
	सिक्किम	0	0	0	0
कुल		**95**	**347**	**1544**	**1986***

* वामपंथ उग्रवाद से अत्यधिक प्रभावित (एलडब्ल्यूई) 35 क्षेत्रों में कुल 1770 शाखा डाकघर खोले गए हैं, जिसमें से 95 आन्ध्र प्रदेश में, 34 बिहार में, 737 छत्तीसगढ़ में, 654 झारखण्ड में, 142 महाराष्ट्र में, 68 ओडिशा में और 40 तेलंगाना में हैं।